APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

सीता सेन पत्नि रमेशचन्द सेन बनाम गोपी पिता मिश्री सेन
–हरिपुरा हाल मुकाम गुलाबपुरा निवासी– हरिपुरा

ुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गत धारा – 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या– 224/2018

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाद जॉच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावें विपक्षी को जरियें सम्मन तलब किया जाकर मिलस दिनांक 29.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र वृत केम्प गुलाबपुरा में पेश करें । सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा 29.06.2018 प्रत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई । वादिया श्रीमति सीता सेन उपस्थित । वादिया के द्वारा उपस्थित होकर कथन किया कि हम वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से समझोतो हो चूका है । इसलिये में उक्त वाद मे किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही चाहती हुँ । मैंने उपस्थित वादियों को सूना । वादिया के द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आपसी समझोतो होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नही कराना जाहिर किया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया । सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

Scanned by CamScanner